न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या :— 12/2023

अपीलार्थीगण

1. पोकर राम पुत्र स्व. श्री भीया राम
2. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री भीया राम
3. पेमा राम पुत्र स्व. श्री भीया राम
4. सुख देव पुत्र स्व. श्री भीया राम
   तहसील लूणी, जिला जोधपुर

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान जरिये सरपंच तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. जैती देवी पत्नि स्व. श्री रतना राम
4. मांगीलाल पुत्र स्व. श्री रतना राम,
5. श्रवण राम पुत्र स्व. श्री रतना राम,
6. दौला राम पुत्र स्व. श्री रतना राम,
7. ओमा राम पुत्र स्व. श्री रतना राम, प्रत्यर्थीगण संख्या 3 से 7 जातियान विश्नोई, निवासीगण, बालाजी नगर गुड़ा विश्नोईयान, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

— — —

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 68, दिनांक 05.12.1976 स्वीकृत ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईया,

उपस्थिति : —

1. अपीलान्ट्स की और से अधिवक्ता मनीष बोहरा उपस्थित
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 से 7 की ओर से शिवांग सोनी उपस्थित।

दिनांक :— 06-8-2025

— :: निर्णय :: —

अपीलान्ट द्वारा एक नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 05.12.1976 की पेश कर कथन किया कि ग्राम भाकरासनी, पटवार मण्डल गुड़ा विश्नोईया, तहसील लूणी के खसरा संख्या 173, क्षेत्रफल 6.7097 हैक्टेयर का 1/3 वां हिस्सा प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 07 के नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 68 के द्वारा भीयाराम पुत्र मुलाराम के स्वर्गवास के उपरान्त उनके वारिसान के नाम दर्ज किया जाना था, लेकिन सभी पुत्रों की जगह सिर्फ रतनाराम पुत्र श्री भीयाराम का नाम ही दर्ज हुआ जबकि रतना राम के चारों भाई पोकर राम, बाबुलाल, पेमाराम, सुखदेव के नाम दर्ज होने से वंचित रह गये थे। फिर कुछ वर्षों के बाद रतनाराम के फौत होने के उपरान्त उनकी पत्नी व वारिसानों के नाम खसरा संख्या 173 में भीयाराम का हिस्सा दर्ज हो गया था, जबकि नामान्तरकरण को त्रुटि सुधार कर भीयाराम के सभी पुत्रों (वारिसान) के नाम दर्ज किया जाना था। वर्तमान में भीयाराम के 5 पुत्रों में से रतनाराम का देहान्त होने के कारण खसरा संख्या 173, भाकरासनी राजस्व रेकर्ड में भीयाराम का 1/3 हिस्सा रतना राम के वारिसान यानि अपीलार्थीगण के भाभी व भतीजों के नाम दर्ज है। अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 68, दिनांक 05.12.1976 की सहवन (भूलवश) त्रुटि में सुधार कर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रकरण को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटीस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 7 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में तहसीलदार लूणी को मूल नामान्तरण एवं भीयाराम के वारिसान् की वंशावली रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई जो असल ही प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 से 7 द्वारा अपने जवाब पेश कर नामान्तरकरण अपील स्वीकृत करने हेतु सहमति दी जाकर कथन किया कि भूमि खसरा नं. 173 ग्राम भाकरासनी की खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या 1 के ससुर व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के दादा स्व० श्री भीयाराम पुत्र श्री मूलाराम की भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार थी। भीयाराम जी के पांच पुत्रों, जिनमें कमश रतनाराम, पोकरराम, बाबूराम, पेमाराम, सुखदेव है। भीयाराम पुत्र मूलाराम जी के इंतकाल के उपरान्त उनके नाम दर्ज सभी खातेदारी भूमियों का फौतेदगी नामान्तरण उनके वारिसानों/सभी पांचों पुत्रों के नाम दर्ज किया जाना था लेकिन राजस्व अधिकारियों की सहवन व सद्भाविक मानवीय भूल व त्रुटी के कारण खसरा सं. 173 ग्राम भाकरासनी के नामान्तरण संख्या 68 के अमलदरामद/इन्द्राज के समय पुत्रों लिखकर सिर्फ एक पुत्र रतनाराम के नाम नामान्तरण दर्ज हो गया है। जबकि चार पुत्रों का नाम त्रुटीवश नामान्तरण में दर्ज नहीं हुआ। अपीलार्थीगण 01 से 04 के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर खसरा संख्या 173 ग्राम भाकरासनी में भीयाराम के हिस्से में सभी पांचों पुत्रों स्व० रतनाराम के वारिसान् (प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 07) पोकरराम, बाबूराम, पेमाराम, सुखदेव का बराबर हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार जमाबन्दी, नामान्तरण उक्त राजस्व अपील में आदेश/निर्णय पारित करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 03 से 07 को कोई आपत्ति नहीं होने से सहमति जाहिर की है।

हमने पत्रावली का विस्तृत अवलोकन किया गया। बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक किया गया। अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 05.12.1976 को संशोधित किया जाकर भीयाराम के अन्य 4 पुत्रों के नाम खातेदारी हिस्से में दर्ज किये जाने का हेतु पेश की जिसकी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भी पूर्ण सहमति दी गई। तहसीलदार लूणी द्वारा पेश वारिसान की जांच रिपोर्ट में भीयाराम जी के वारीसान् पांच पुत्रों जिनमें क्मश रतनाराम, पोकरराम, बाबूराम, पेमाराम, सुखदेव होना अवगत करवाया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को देरी से पेश करने पर प्रार्थनापत्र धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का पेश किया, जिसमें उक्त अपील को देरी से पेश करने का कोई उचित एवं न्यायसंगत कारणों से अवगत नहीं करवाया गया है जिसे न्यायहित में अस्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जाती है। अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 05.12.1976 जो ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईया द्वारा विधिवत् स्वीकृत किया गया, का अमल दरामद भीयाराम पुत्र मूलाराम जी के इंतकाल के उपरान्त फौतेदगी नामांतरकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। उपरोक्त आधार पर पूर्ण रूप से सही एवं विधिवत भरे गये नामान्तकरण को बिना कोई ठोस कारण के निरस्त किया जाना कानुनन उचित नहीं है। अपीलान्ट की अपील न्यायहित में खारीज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट द्वारा पेश नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय आज दिनांक 06-8-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी